

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-111/732

दिनांक :- 30-03-2018

आदेश संख्या : 420/2017-18

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.-मेरिट क्रमांक/वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SACHIN CHOUDHARY SURJEET SINGH 853373 2130/2013	02-Dec-89 BC,ME	TREASURY OFFICER (1101), TREASURIES AND ACCOUNTS, CHITTORGARH, CHITTORGARH	
2.	KAILASH KUMAR PRATAP SINGH 546656 3051/2013	08-May-92 BC,ME	TEHSILDAR - 28164, REVENUE DEPARTMENT, SANDWA, BARMER	
3.	BABULAL MEENA PRABHU DAYAL MEENA 840402 2240/2013	01-Oct-85 ST	EXECUTIVE DIRECTOR (1000380), RSWC (EX CADRE POSTS), JAIPUR, JAIPUR	
4.	KANWARPAL UDENIYA HARINARAYAN UDENIYA 806729 3067/2013	05-Jul-90 SC,ME	COMMISSIONER (99910), MEDICAL EDUCATION, JAIPUR, JAIPUR	
5.	CHETAN SHARMA RAJENDRA KUMAR 502751 1645/2013	25-Aug-94 GE,ME	PMO (20361), MEDICAL AND HEALTH, CHITTORGARH, CHITTORGARH	
6.	DEVKARAN SAINI KHEM CHAND 822055 2132/2013	20- April- 1992 BC,ME	TREASURY OFFICER (1101), TREASURIES AND ACCOUNTS, CHITTORGARH, CHITTORGARH	

✓

7.	RAM KUMAR PREM CHAND 462776 2491/2013	12-Jul-86 GE,ME	JOINT DIRECTOR - 20189 , MEDICAL AND HEALTH , BHARATPUR , BHARATPUR	
8.	BHARAT BISHNOI BHAGWAN DASS BISHNOI 870755 1409/2013	16-Sep-80 GE, RG, ME, NG	SE CIRCLE - 699 , WATER RESOURCES , SRIVIJAYNAGAR , SRIGANGANAGAR	
9.	AAKASH TAK VASUDEV TAK 833847 3072/2013	15-Nov-90 BC, ME	C.E.O. DISTRICT H.Q. (3000159) , MGNREGP , JAIPUR , JAIPUR	
10.	BALRAM DATARAM JAT 869783 2216/2013	01-Dec-90 BC, ME	COMMISSIONER - 3000194 , PANCHAYATI RAJ , JAIPUR , JAIPUR	
11.	ASHISH MUDGAL PRAHALAD SINGH MUDGAL 676702 1377/2013	22-Oct-75 GE, ME	TREASURY OFFICER (RURAL) (31234) , TREASURIES AND ACCOUNTS , UDAIPUR , UDAIPUR	
12.	BAJARANG SINGH UMMED SINGH 594116 2285/2013	20-Nov-81 GE, ME	TREASURY OFFICER (1126) , TREASURIES AND ACCOUNTS , SIROHI , SIROHI	
13.	LOKESH PRATAP GAJENDRA PRATAP SINGH 410090 3005/2013	01-Sep-88 GE, RG, ME	CHAIRMAN - 956 , BOARD OF REVENUE , AJMER , AJMER	
14.	BHEMA RAM CHAMPA RAM REBARI 560815 2834/2013	02-Aug-90 SB ME	MEDICAL OFFICER CHC - 23278 , MEDICAL AND HEALTH , RANIWARA , JALORE	
15.	MISHREE RAM PURAKHA RAM 457875 1584/2013	01-Jan-90 BC, ME	C.E.O. DISTRICT H.Q. (3000161) , MGNREGP , JAISALMER , JAISALMER	
16.	KHERAJ RAM KANA RAM 602987 3000/2013	05-Jan-84 BC, ME	MEDICAL OFFICER CHC - 23327 , MEDICAL AND HEALTH , BALESAR , JODHPUR	
17.	VIKAS GAHLOT HARI KISHAN GAHLOT 491165 2985/2013	10-Sep-88 BC, RG, ME, NG	REGISTRAR - 1000468 , SARDAR PATEL POLICE SURKSHA AVM DANDIK NYAY UNIVERSITY (EX CADRE POSTS) , JODHPUR , JODHPUR	
18.	RAJESH KUMAR KIRADOO SHYAM DUTT KIRADOO 492426 2899/2013	10-Jan-82 GE, RG, ME	DISTRICT MINORITY WELFARE OFFICER (22354) , MINORITY AFFAIRS , BIKANER , BIKANER	

✓

19.	YOGESH KUMAR CHAUDHARY MOHAN LAL CHAUDHARY 884855 1344/2013	06-Mar-89 BC,ME	DISTRICT MINORITY WELFARE OFFICER (22354), MINORITY AFFAIRS, BIKANER, BIKANER	
20.	RAM PRAKASH CHOUDHARY CHOUTHMAL CHOUDHARY 807371 2989/2013	15-May-85 BC,ME	SECRETARY - 1000345, RAJ. STATE TEXT BOOK BOARD (EX CADRE POSTS), JAIPUR, JAIPUR	
21.	VED PRAKASH VYAS SUSHIL KUMAR VYAS 491669 2912/2013	14-Jan-87 GE, RG, ME, NG	PRINCIPAL PANCHAYAT TRAINING CENTRE - 31276, PANCHAYATI RAJ, BIKANER, BIKANER	
22.	REKHA RAM MOHAN RAM 674140 1545/2013	10-Dec-91 BC,ME	TREASURY OFFICER - 1126, TREASURIES AND ACCOUNTS, SIROHI, SIROHI	

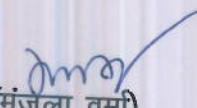
उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा रही है:-

- उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 951/2017, 549/2018, 550/2018, 559/2018, 574/2018, 575/2018, 576/2018, 577/2018, 578/2018, 579/2018 एवं 589/2018 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर/जोधपुर के निर्णय / आदेश दिनांक 21.03.2018, 22.03.2018 एवं 23.03.2018 की पालना में दी जा रही है।
- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। दो वर्ष की परीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे-मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा।

परीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

9/

6. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
7. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिलास्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्चस्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन रहेंगी तथा याचिका संख्या 23002/2017 एवं 14132/2017 में पारित निर्णय / आदेश के विरुद्ध राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर की जाने वाली विशेष अपील याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ में राज्य सरकार द्वारा दायर की गई स्पेशल अपील रिट संख्या 216/2018, 217/2018, 219/2018, 224/2018, 227/2018, 231/2018, 220/2018, 218/2018, 222/2018 एवं 225/2018 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2018 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिका एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील याचिका संख्या 292/2018 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम रेखाराम व अन्य में पारित निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिका के अधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति / तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी।
12. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धिया एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करेगा।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।


 (मंजुला वर्मा)
 निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/ 732
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 30-03-2018

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर को उनके पत्र सं. एफ.7(63) एफ.डी./एल.सी.
/2017 दिनांक 27.03.18 के क्रम में।
5. अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिती प्रस्तुत करने वाले
अभ्यर्थियों से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिती स्वीकार कर कार्यग्रहण
रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
10. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
11. रक्षित /निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-III)